



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062021-227615
CG-DL-E-15062021-227615

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2151]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 14, 2021/ ज्येष्ठ 24, 1943

No. 2151]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 14, 2021/JYAISTHA 24, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2021

का.आ. 2315(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जिले में NH-91 के कि.मी. 140.200 से कि.मी.165.600 तक के भू-खण्ड (अलीगढ़-कानपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन/6-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, अलीगढ़ को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्,

यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 91 के कि.मी. 140.200 से कि.मी.165.600 (अलीगढ़-कानपुर खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश		जिले का नाम: अलीगढ़			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: कोइल					
गांव का नाम: अकराबाद					
1	550	सरकारी	नाला बरसाती	0.0033000(हेक्टेयर)	0.0033000
2	551	सरकारी	कब्रिस्तान	0.0075000(हेक्टेयर)	0.0075000
3	702	सरकारी	रास्ता	0.0035000(हेक्टेयर)	0.0035000
4	703	निजी	कृषि	0.0080000(हेक्टेयर)	0.0080000
गांव का नाम: नानऊ					
1	662	अन्य	आबादी	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
2	836	निजी	कृषि	0.0176000(हेक्टेयर)	0.0176000
3	840	अन्य	कृषि/ इदगाह	0.0355000(हेक्टेयर)	0.0355000
कुल				0.1054	0.1054

[फा. सं. 15011/3A2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2021

S.O. 2315(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four/six laning etc.), maintenance, management and operation of NH-91 in the stretch of land from Km. 140.200 to Km. 165.6600 (Aligarh-Kanpur Section) in the district of ALIGARH in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition Officer, Aligarh in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling with the stretch of land from Km. 140.200 to 165.600 (Aligarh-Kanpur Section) on NH-91 in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH		District: ALIGARH			
Sl. No	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Koil					
Village: Akarabad					
1	550	Government	Naala Barsati	0.0033000(Hectare)	0.0033000
2	551	Government	Kabrishtaan	0.0075000(Hectare)	0.0075000
3	702	Government	Rasta	0.0035000(Hectare)	0.0035000
4	703	Private	Agriculture	0.0080000(Hectare)	0.0080000
Village: Nanau					
1	662	Common	Abaadi	0.0300000(Hectare)	0.0300000
2	836	Private	Agriculture	0.0176000(Hectare)	0.0176000
3	840	Common	Agriculture/ Eidgaa	0.0355000(Hectare)	0.0355000
Total				0.1054	0.1054

[F.No. 15011/3A2]

RAJESH GUPTA, Director